अनुसूची I

[विनियम (5) (1) देखें ·.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना

1. किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किये गये ईक्विटी / अधिमान / परिवर्तनीय अधिमान्य शेयरों और परिवर्तनीय डिबेचरों की भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा खरीद

(i) विनियम 5 के उप-विनियम (1) में यथा उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक और शर्तों के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंर्गिं खरीद सकता है ।

(ii)यदि इस योजना के अंतर्गत शेयर खरीदनेवाला व्यक्ति किसी नयी भारतीय कंपनी का सहयोगी बनने अथवा नयी कंपनी की संपूर्ण शेयर धारिता को अधिगृहित करना चाहता है और जिस क्षेत्र में अथवा संबद्ध क्षेत्र में शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी कार्यरत है, उसमें यदि उस व्यक्ति का शेयरों अथवा डिबेंर्गिं में निवेश अथवा तकनीकी सहयोग अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा किसी भी नाम से अभिहित निवेश द्वारा भारत में पूर्व उद्यम अथवा गंठजोड़ (टाई अप) हो तो उसे केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

2. किसी भारतीय कंपनी द्वारा शेयर जारी करने हेतु रिज़र्व बैंक का स्वर्गिलित मार्ग

(i) इस अनुसूची के संलग्नक 'क' में शामिल कोई भी कार्य अथवा किसी भी मद के विनिर्माण में न लगी कोई कंपनी पैराग्राफ् 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कार्यरत औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित औद्योगिक नीति और कार्यप्रणालियों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है ।

बशर्ते :

(i) जारीकर्ता कंपनी के कार्य के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 अथवा समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक नीति के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान संबंधी नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं हो ।

(ii) उक्त भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी के मौझदा शेयरों को अधिगृहीत करने के उद्देश्य से शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये जा रहे हों ।

स्पष्टीकरण :
जो कंपनी इस अनुसूची के संलग्नक 'ख' में शामिल कार्य करने अथवा विनिर्माण मदों के लिए विस्तार कार्यक्रम शुरू करना चाहती हो; वह इस पैराग्राफ् के प्रावधानों के अंतर्गत संलग्नक 'ख' में उल्लिखित सीमा तक विस्तार कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए उसके द्वारा नयी पूंजी की प्रस्तावित निर्गम में से शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है ।

(ii) भारत में निगमित कोई भी व्यापारिक कंपनी पैराग्राफ् 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को इस शर्त के अधीन अपनी पूंजी की 51 प्रतिशत सीमा तक शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है कि भारत के बाहर निवास करनेवाले शेयर धारकों को लाभांश तभी विप्रेषित किया जाए जब उक्त कंपनी ने विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से निर्यात/ट्रेडिंग/स्टार ट्रेडिंग/ सुपर ट्रेडिंग हाउस के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो ।

(iii) जो कंपनी लघु उद्योग इकाई है और जो संलग्नक 'क' में शामिल किसी भी कार्य में अथवा मदों के विनिर्माण में नहीं लगी हो वह पैराग्राफ् 1 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति को अपनी चुकता पूंजी की 24 प्रतिशत सीमा तक शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है;

बशर्ते ऐसी कंपनी अपनी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक शेयर तब जारी कर सकती है जब
क) उसने अपनी लघु इकाई की हैसियत छोड़ दी हो ;
ख) वह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण में नहीं लगी हो अथवा लगना नहीं चाहती हो; और
ग) वह संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमाओं का पालन करती हो ।

(iv) खंड (3) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई निर्यातोन्मुख इकाई अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित कोई इकाई पैराग्राफ् 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को 24 प्रतिशत से अधिक शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है बशर्ते यह इकाई संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमाओं का पालन करती हो ।

3. सरकारी अनुमोदन की अपेक्षावाली किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करना

जो कंपनी संलग्नक 'क' में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में लगी हो या कार्य करना चाहती हो अथवा जो भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं से अधिक शेयर जारी करना चाहती हो और जो भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को शेयर जारी करने के लिए अन्यथा पात्र नहीं हो, वह पैराग्राफ् 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को शेयर जारी कर सकती है, बशर्ते उसने औद्योगिक सहायता सिर्विालय से अथवा, यदि लागू हो, भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया हो और ऐसे अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन किया गया हो ।

4. एडीआर और /अथवा जीडीआर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव द्वारा शेयर जारी करना

(i) जो भारतीय कंपनी वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) और /अथवा अमरीकी निक्षेपागार रसीदें जारी करने के प्रयोजन के लिए निक्षेपागार है, वह रुपये में मूल्यवर्गित अपने शेयरों को भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को जारी कर सकती है,

बशर्ते ऐसे शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी को

(क) ऐसे एडीआर और/अथवा जीडीआर .जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो अथवा वर्तमान में लागू संबद्ध योजना अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एडीआर/जीडीआर जारी करने के लिए वह पात्र हो, और

(ख) इन विनियमों के अनुसार वह भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए अन्यथा अयोग्य न हो, और

(ग) एडीआर/जीडीआर विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये गये हों ।

(ii) उप पैराग्राफ् (1) के अंतर्गत शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को शेयर निर्गम की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर संलग्नक 'ग' में विनिर्दिष्ट फ़ार्म में ऐसे निर्गम का ब्योरा प्रस्तुत करेगी ।

(iii) एडीआर/जीडीआर पर शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को कैलेंडर तिमाही की समाप्ति पर पंद्रह दिनों के भीतर संलग्नक 'घ' में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगी ।

(iv) भारतीय कंपनी, खंड (1) के अनुसार जुटाये गये विदेशी मुद्रा संसाधनों का प्रत्यावर्तन अथवा उपयोग होने तक विदेशी करेंसी निधियों का -

(क)ऐसे बैंकों के पास जमाराशियों अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखतों में निवेश कर सकती है जिनका अल्पकालिक दायित्वों के लिए दर-निर्धारण स्टैंडर्ड एंड पुअर द्वारा ए1+ और मोदीज़ द्वारा पी1 से कम न हो

(ख)भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी की भारत से बाहर स्थित शाखा के पास जमाराशियों में, और

(ग)एक वर्ष अथवा उससे कम की परिपक्वता अथवा असमाप्त परिपक्वतावाले अन्य मौद्रिक लिखतों और खजाना बिलों में निवेश कर सकती है ।

5. निर्गम मूल्य

इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को जारी किये गये शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से कम न होगा -

(क)जहाँ जारीकर्ता कंपनी भारत स्थित किसी भी मान्यताप्राप्त शेयर बार में सूचीबद्ध है, वहां सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया गया मूल्य, और

(ख)अन्य मामलों में निवर्तमान पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सनदी लेखाकार द्वारा किया गया शेयरों का उर्चित मूल्य-निर्धारण ।

6. लाभांश संतुलन

यदि कोई कंपनी उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के किसी उद्योग में अथवा ऐसे किसी कार्य में लगी हो, जहां औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा अधिसूचित औद्योगिक नीति और कार्यप्रणालियों के अनुसार लाभांश संतुलन की शर्त निर्दिष्ट की गयी हो, तो वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से सात साल की अवधि के दौरान भारत के बाहर के निवेशकों को लाभांश भुगतान के कारण हुआ विदेशी मुद्रा का संचिथी पूंजी बहिर्गमन इस अवधि में कंपनी के निर्यात आय-अर्जन की संचयी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

बशर्ते

(क) इस पैराग्राफ् के अंतर्गत लगाया गया प्रतिबंध

(i) ऐसी कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ड्यूश एन्ट्विक्लंग्ज़ गेस्लेस्काफ्ट, राष्ट्र मंडल विकास निगम और एशियाई विकास बैंक द्वारा रखे शेयरों के संबंध में लागू न होगा, और

(ii) जिस कंपनी ने अपने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात साल की अवधि पूरी कर ली हो, उस पर लागू न होगा ।

(ख) उस वर्तमान कंपनी के मामले में जिसने इन विनियमों के अधीन भारत के बाहर निवेश करनेवाले व्यक्तियों को नयी ईक्विटी जारी की है, नये शेयरों पर उनके जारी होने की तारीख से प्रतिबंध लागू होगा ।

7. अधिमान्य शेयरों पर लाभांश की दर

इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये अधिमान शेयरों या परिवर्तनीय अधिमान शेयरों पर लाभांश की दर कंपनी के बोर्ड की उस बैठक की तारीख को जिसमें ऐसे शेयर जारी किये जाने की सिफ़ारिश की गयी थी, प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर से 300 आधार अंकों से एधिक नहीं होगी ।

8. भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को जारी किये गये शेयरों के लिए भुगतान की विधि

इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को शेयर या परिवर्तनीय डिबेंर्रिं जारी करनेवाली कोई भी कंपनी ऐसे शेयरों के लिए तय की गयी राशि निम्नलिखित रूप में प्राप्त करेगी -

(i) सामान्य बैंकिंग माध्यमों से आवक विप्रेषण के जरिये
(ii) किसी प्राधिकृत व्यापारी /प्राधिकृत बैंक के पार रखें संबंधित व्यक्ति के एनआरई/एफ़सीएनआर खाते में नामे डालकर ।

9. भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

इन विनियमों के अनुसार शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करनेवाली कोई भी भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को निम्नानुसार सूचित करेगी ,

(क) तय की गयी राशि प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा :

(i) विदेशी निवेशकों के नाम और पते ,
(ii) निधियों की प्राप्ति की तारीख और रुपये में उनकी समतुल्य राशि,
(iii) उस प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से निधियां प्राप्त हुई हों, और
(iv) सरकारी अनुमोदन, यदि हो, का विवरण

(ख) शेयरों के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर फ़ार्म एफ़सी-जीपीआर में निम्नलिखित के साथ एक रिपोर्ट

(i) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति से निवेश प्राप्त करनेवाली कंपनी के कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि -
(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली गयी है ;
(2) सरकारी अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हो, का अनुपालन किया गया है
(3) यह कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए पात्र है; और
(4) कंपनी के पास भारत में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये सभी मूल प्रमाणपत्र हैं जिनमें पैराग्राफ् 9 के अनुसार तय की गयी राशि की प्राप्ति को प्रमाणित किया गया है
(ii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों या सनदी लेखाकार से एक प्रमाणपत्र जिसमें भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को जारी किये गये शेयरों के मूल्य-निर्धारण के तरीके का उल्लेख हो ।

10. भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों से विदेशी करेंसी खाते में प्राप्त शेयर अभिदान राशि रखने के लिए अनुमति

इस प्रयोजन के लिए आवेदन किये जाने और इससे संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को शेयर जारी करनेवाली कंपनी को, उन शर्तों के अधीन जिन्हें वह निर्धारित करें, विदेशी करेंसी खाते में अभिदान राशि रखने की अनुमति दे सकता है ।

संलग्नक क
(पैराग्राफ् 2 देखें)

उन कार्यालयों अथवा मदों की सूची जिनके लिए भारत से बाहर
निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निवेश करने के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वचालित मार्ग (डायरेक्ट रूट) उपलब्ध नहीं है

1. बैंकिंग
2. वित्तीय सेवा क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलाप
3. नागर विमानन
4. पेट्रोलियम- इसमें पेट्रोलियम की खोज करने /रिफ्राइनरी और इसके विपणन का कार्य शामिल है
5. अनिवासी भारतीयों /विदेशी कंपनी निकायों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों से निवेश के लिए आवास और भूमि-भवन विकास क्षेत्र
6. संयुक्त पूंजी निधि और संयुक्त पूंजी कंपनी
7. आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्र में निवेश करनेवाली कंपनियां
8. परमाणु ऊर्जा (एटामिक एनर्जी) और संबद्ध परियोजनाएं
9. रक्षा और तत्संबंधी महत्वपूर्ण (स्ट्रैटेजिक) उद्योग
10. कृषि (बागान-सहित)
11. प्रिंट मीडिया
12. प्रसारण
13. डाक-सेवाएं

संलग्नक ख
(पैराग्राफ् 2 देखें)

भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निवेश की क्षेत्रवार सीमा

क्षेत्र	निवेश सीमा	कार्यकलाप /मद/ स्थिति का ब्योरा
1. दूर-संचार	49%	बेसिक, सेल्युलर मोबाइल, पेजिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं और सेटेलाइट के माध्यम से ग्लोबल मोबाइल निजी संप्रेषण बशर्ते भारत सरकार, दूरसंचार विभाग का लाइसेंस प्राप्त किया गया हो ।
	100%	(i) विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों में
2. आवास और भूमि-भवन	100%	नीचे बताये गये क्षेत्रों में केवल अनिवासी भारतीय / विदेशी कंपनी निकायों को ही निवेश करने की अनुमति दी यी है :
		(क) सुविधायुक्त प्लाटों का विकास और आवासीय परिसरों का निर्माण

		(ख) भूमि-भवन में निवेश जिसमें व्यापारिक केंद्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्य परिसरों का निर्माण शामिल है
		(ग) टाउनशिप का विकास
		(घ) नगर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़के और पूल शामिल हैं ।
		(ङ) भवन-सामग्री के विनिर्माण में निवेश
		(च) ऊपर (क) से (ङ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सहभागिता उद्यमों में निवेश
		(छ) आवासीय वित्त संस्थाओं में निवेश
3. कोयला और लिग्नाइट	49% 50%	(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और (ii) ऐसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिसमें - क) भारतीय निजी कंपनियां पॉवर परियोजनाएं और सीमित उपभोग के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट की परियोजनाएं लगा रही है अथवा उनका कार्य-संचालन कर रही है । ख) कोयला प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए बशर्ते कंपनी कोयला खनन न करें और अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से खुले बाजार में साफ् किया हुआ अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला नहीं बेचें । वे ऐसा साफ् किया अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला उन्हीं पार्टियों को सप्लाई करेंगे जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को साफ् करने अथवा टुकड़े करने के लिए कच्चा कोयला सप्लाई करते हैं । ग) सीमित खपत के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट का पता लगाने अथवा खनन के लिए
4. दवाइयां और औषधियां (फ्ार्मास्युटिकल्स)	74%	थोक दवाइयां, उनके गौण उत्पाद (इंटरमीडियरीज) और उन्हें मिलाकर बनाई गई अन्य दवाइयां आदि (फ्ार्मम्युलेशस) इनमें ऐसे उत्पाद शामिल नहीं है जो रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते टहुए तैयार किये गये हैं ।
5. होटल और पर्यटन	51%	(i) होटलों में ऐसे सभी रेस्तरां, बीर्ि रिज़ार्ट ओर अन्य टूरिस्ट काम्प्लेक्स शामिल हैं जो पर्यटकों को रहने की जगह और /अथवा खान-पान की सुविधा प्रदान करते हैं ।
		(ii) पर्यटन संबंधी उद्योग में ट्रैवल एजेंसियां, टूर आपरेटिंग एजेंसियां, और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग एजेंसियां, पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक, साहसिक कार्यों और वन्य पशुओं को देखने क ा सुविधा उपलब्ध करानेवाले युनिट, पर्यटकों के लिए भू-मार्ग, हवाई-मार्ग और जल-मार्ग से परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानेवाले, पर्यटकों के लिए

		आराम करने, मनो-विनोद. खेल-कूद और स्वास्थ्य संबंधी यूनिट और सम्मेलन/समारोह आयोजित करनेवाले यूनिट और संगठन.	
6. खनन	74%	हीरे और बहुमूल्य पत्थरों का पता लगाना और उन्हें खानों से निकालना	
	100%	हीरे और बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर सोने, गिंदी और खनिजों का पता लगाना और उन्हें खानों से निकालना, धातु कर्म तथा प्रसंस्करण	
7. विज्ञापन	74%	विज्ञापन क्षेत्र	
8. फिल्म	100%	फिल्म उद्योग (अर्थात् फिल्म-वित्तपोषण. निर्माण. वितरण. प्रदर्शन. विपणन और फिल्म उद्योग से संबद्ध कार्यकलाप बशर्ते) :	
		i)	कंपनियों का फिल्मों. दूरदर्शन. संगीत. वित्त और बीमा के क्षेत्र में पिछले कार्य का अच्छा रिकार्ड हो
		ii)	यदि कंपनी सबसे बड़ी अकेली ईक्विटी शेयरधारक हो तो उसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 10 मिलियन अमरीकी डालर हो और अन्य मामलों में यह पूंजी कम-से-कम 5 मिलियन अमरीकी डालर होनी चाहिए
		iii)	सबसे बड़ी अकेली ईक्विटी शेयरधारक कंपनी के मामले में विदेशी ईक्विटी निवेश का न्यूनतम स्तर 2ण्5 मिलियन अमरीकी डालर होगा और अन्य मामलों में यह राशि1 मिलियन अमरीकी डालर होगी
		iv)	ऋण ईक्विटी अनुपात 1.1 से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात देशी उधारी ईक्विटी से अधिक नहीं होनी चाहिए
		v)	लाभांश संतुलन के उपबंध लागू होंगे।
9. कोई अन्य क्षेत्र कार्यकलाप (संलग्नक में शामिल को छोड़कर अन्य)	100%		

संलग्नक 'ग'

अनुसूची I का पैरा 4(2) देखे

जीडीआर/एडीआर को जारी करने की व्यवस्था करनेवाली
भारतीय कंपनी द्वारा भरी जानेवाली विवरणी

1	कंपनी का नाम	:		
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	:		
3	पत्राचार के लिए पता			
4	वर्तमान कारबार (कृपया क्रियाकलाप का राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) का कूट दें जिसमें कंपनी प्रधानतः लगी हुई है)	:		
5	जीडीआर/ एडीआर जुटाने संबंधी प्रयोजनों का ब्यौरा। यदि विदेशी निवेश के लिए निधियों का किया गया है तो उसके ब्यौरे दें।	:		
6	विदेश स्थित निक्षेपागार (डिपोजिटरी) का नाम और पता	:		
7	अग्रणी / प्रबंधक निवेश / वाणिज्यिक बैंकर का नाम और पता	:		
8	निर्गम के उप प्रबंधकों के नाम और पते	:		
9	भारतीय अभिरक्षकों (कस्टोडियन) के नाम और पते	:		
10	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) अनुमोदन के ब्यौरे दें। (यदि जीडीआर ऑटोमेटिक रूट के अधीन जारी किया जा रहा है तो कृपया संबंधित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) कोड लिखें)	:		
11	कया विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय अधिकतम सीमा लागू है। यदि हां, तो ब्यौरे दें।	:		
12	ईक्विटी पूंजी के ब्यौरे	: जारी करने से पूर्व		जारी करने से बाद
	(क) प्राधिकृत पूंजी			
	(ख)जारी क और प्रदत्त पूंजी			
	(i) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा धारित			
	(ii) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/ अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/ पीआइओ/ विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी) से इतर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजा का 10 प्रतिशत से अधिक धारित करने वाले विदेशी निवेशकों की सूर्ाी और उनमें से प्रत्येक के द्वारा रखे गये शेयरों की संख्या प्रस्तुत करें)			
	(iii) अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/ पीआइओ/ विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी) द्वारा धारित			
	(iv) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) द्वारा धारित			
	(v) अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी			
	(ग) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित ईक्विटी का प्रतिशत			
13	क्या निर्गम प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर था। यदि हां, तो निवेशकों और उनमें प्रत्येक	:		

को जारी किए गए एडीआर/ जीडीआर के ब्यौरे दें।

14	जारी किए गए एडीआर/ जीडीआर की संख्या	:
15	पूर्वताप्राप्त (अंडरलाईंग) शेयरों में जीडीआर/ एडीआर का अनुपात	:
16	निर्गम से संबंधित खर्चिद	:
	(क)वाणिज्यिक बैंकर/अग्रणी प्रबंधक को प्रदत्त/देय शुल्क	:
	(i) राशि (अमरीकी डालर आदि में)	
	(ii) कुल निर्गम में राशि के प्रतिशत के रूप में	
	(ख) अन्य खर्चे	
17	क्या निधियां विदेश में रखी जाती हैं, यदि हां तो, बैंक का नाम और पत्ता	:
18	सूचीकरण व्यवस्था के ब्यौरे स्टॉक एक्सचेंजों का नाम व्यापार आरंभ करने मी तारीख	:

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया गया है।

हस्ताक्षर

सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक 'घ'

अनुसूिी I का पैरा 4(3) देखें

त्रैमासिक विवरणी

19	कंपनी का नाम	:
20	पता	:
21	किस तारीख को जीडीआर/एडीआर निर्गम जारी किया गया	:
22	जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल संख्या	:
23	जुटाई गई कुल राशि	:
24	तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज	:
25	निर्गम के खर्चे और कमीशन, आदि	:
26	प्रत्यावर्तित राशि	:
27	विदेश में रखी गई शेष राशि	:
	ब्यौरे	:
	(i) बैंकों की जमाराशियां	:
	(ii) खजाना बिल	
	(iii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
28	अभी भी बकाया पड़े जीडीआर की संख्या	:
29	तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर मूल्य	:
30	तिपही के अंत में विदेशी स्टॉक एक्सचेंजमें उद्धृत जीडीआर मूल्य	:

प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/ जीडीआर के माध्यम से उगाही गई निधियों को स्टॉक बाजार अथवा भूमि-भवन में निवेश नहीं किया गया है।

हस्ता./-
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक 'ङ'

अनुसूची I का पैराग्राफ 6 देखें

22 उद्योगों की सूची जिनके संबंध में लाभांश शेष निकालना लागू है

1. खाद्य और खाद्य वस्तुएं तैयार करना
2. डेयरी उत्पाद तैयार करना
3. अनाज मिलों के उत्पाद
4. बेकरी उत्पाद तैयार करना
5. चीनी का उत्पादन और शोधन (वॅक्यूम पैन चीनी कारखाने)
6. सामान्य नमक का उत्पादन
7. हाइ.ड्रोजनीकृत तेल का उत्पादन (वनस्पति)
8. चाय अभिसंस्करण
9. कॉफी
10. पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद
11. स्पिरिट की डिस्टिलिंग, रेक्टिफाईंग और ब्लेंडाग, शराब उद्योग, माल्ट की शराब और माल्ट, देशी शराब और ताड़ी उत्पादन
12. हल्के पेय और कार्बोनेट चल उद्योग
13. सिगार, बसगरेट, चुरूट और सिगरेट तम्बाकू का उत्पादन
14. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीिर और फिक्सर तैयार करना

15. चमड़ा और / फर /चमड़ा उत्पाद तैयार करना
16. चमड़े की टैनिंग, क्यूरिडग, फिनिशिंग, एम्बोसिंग और चैपनिंग करना
17. सांचे में [ले रबर अथवा प्लास्टिक के जूतों के लिए वलकनीकृत को छोड़कर जूता उत्पादन (मरम्मत को छोड़कर)
18. वलकनीकृत अथवा सांचे में डले उत्पादों से मुख्यत:बने जूतों का उत्पादन
19. रोग निरोधक (रबर के गर्भ निरोधक)
20. मोटर कारें
21. मनोरजान के इलेक्ट्रोनिक सामान (वीसीआर. रंगीन टीवी, सीडी प्लेयर्स, टेप रेकॉडर्स)
22. घरेलू वस्तुएं (घरेलू रेफाजोरेटर, घरेलू बर्तन धोने की मशीन, प्रोग्रामयोग्य कपड़े धोने की मशीन, माइक्रोवेव ऑवेन, एयरकंडीशनर)।